

27/12/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय  
वशकारान उपस्थित। पीठासीन अधि.  
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल  
इस्तया होकर दिनांक 26/02/18 को  
पेश हों।

26/02/18

उार्थी वशील उपस्थित। विद्यार्थीगो. के  
नोटिस लामिल कसम लामिल कयाल। इन्तजा  
डाडर पत्रावली आर-स) दिनांक 16/04/2018 को  
पेश हो।

16/04/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय  
वशकारान उपस्थित। पीठासीन अधि.  
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल  
इस्तया होकर दिनांक 24/05/18 को  
पेश हों।

24/05/18

पत्रावली आज न्याय कायदे मार कमिशन-  
2018 डेम्प डोट क्लाम पंचायत गिडा के रखी  
गई। उार्थी वशील उपस्थित। उार्थी के अधिवक्ता  
की एकपक्षीय बयान सुनी गई। उार्थी के अधिवक्ता  
ने बयाना की उार्थी की अपने खालेदारी खेले  
की पक्षी नैयामवनी करवाना कावरप्रडु है। इसलिए  
उार्थी ड) नैयामवनी कावेडन स्वीकार विमा जाडर  
नैयामवनी कावेडन विमा जावे।

फल: उार्थी ड) नैयामवनी कावेडन

स्वीकार विमा जाडर लक्ष्मीलडाडर गिडा के डमिशनर  
निमुक्त विमा जाला है पू कावेडन विमा जाला है।  
वि काय त्वमं या अपने अधिनस्थ किली भी भू-  
अभिलेख निरिसड ले उार्थी के खालेदारी खेले की  
पक्षी नैयामवनी डोनों पक्षों के नोटिस जारी डरने  
के बाद मॉडे पर डमिशनर फिल जमाडाडर डरे।  
पालना रिपोर्ट जालत डोने पर शामिल पत्रावली हो  
पत्रावली जमल सुमार हो, दर्ज नम्बर के डम हो,  
दाखिल दमतर हो।

✓

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु  
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018  
(केम्प कोर्ट, गिड़ा)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 427  
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 24/05/2018  
विप्रार्थीगण

1. श्री शैतानसिंह पुत्र सोहनसिंह वगैरा  
7, जातियान्-राजपूत,  
निवासीयान्-चक उतरणी, गिड़ा  
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

1. श्री पदमसिंह पुत्र लालसिंह वगैरा 17  
निवासीयान्-चक उतरणी, गिड़ा  
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :- 130/17

आदेश

मौजा चक उतरणी पटवार हल्का गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 10, 12, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 39/29 रकबा क्रमशः 42.11, 66.16, 00.03, 00.07, 00.03, 130.04, 174.08, 52.03, 01.02 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों के चारों तरफ सेढा पड़सियों को नोटिस देने के बाद, दोनों पक्षों की उपस्थिति में, प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत नकियां चाला हैं।



क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/ 428-32  
प्रतिनिधि:- किशन का सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कमिशनर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:-24/05/2018

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री शैतानसिंह पुत्र सोहनसिंह वगैरा 7।
4. विप्रार्थी श्री पदमसिंह पुत्र लालसिंह वगैरा 17।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कमिशनर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

तहसील गिड़ा, बाड़मेर।

प्रतिनिधि